बिहार पुलिस मुख्यालय
(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)

आदेश

पटना, दिनांक–

पी0–1/04–09–40–2023

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–19300, दिनांक–13.10.2023 द्वारा परिचारित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली 2023 के प्रावधानों के आलोक में राज्याधीन सेवा के विभिन्न सेवा संवर्गों में अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत राज्यकर्मियों को प्रोन्नति के पद का कार्यकारी प्रभार (वेतनमान सहित) देने का निर्णय लिया गया है।

2. उपरोक्त के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सह–पठित–ज्ञापांक 19332, दिनांक–14.10.2023 द्वारा राज्यकर्मियों को प्रोन्नति के पद का कार्यकारी प्रभार (वेतनमान सहित) देने के निमित्त विचार करने के लिए विभागीय स्क्रीनिंग समिति की संरचना निर्धारित की गई है, जिसके अनुरूप बिहार पुलिस मुख्यालय स्तर पर केन्द्रीय स्क्रीनिंग समिति का गठन किया जाता है, जिसकी संरचना निम्नवत है :–

(i)	पुलिस महानिदेशक, बिहार	–	अध्यक्ष
(ii)	वित्त विभाग द्वारा मनोनीत एक प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव अथवा उप सचिव से अन्यून स्तर का पदाधिकारी हो।	–	सदस्य।
(iii)	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत पदाधिकारी।	–	सदस्य।
(iv)	पुलिस महानिदेशक, बिहार द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय का पदाधिकारी, जो अवर सचिव से अन्यून स्तर का हो।	–	सदस्य।
(v)	पुलिस महानिदेशक, बिहार द्वारा मनोनीत अल्पसंख्यक समुदाय का पदाधिकारी, जो अवर सचिव से अन्यून स्तर का हो।	–	सदस्य।

3. उपरोक्त केन्द्रीय स्क्रीनिंग समिति एतदर्थ क्षेत्रीय चयन पर्षद द्वारा अनुशंसा के साथ उपलब्ध कराये गये कर्मियों/पदाधिकारियों के मनोनयन पर विचार करेगी। केन्द्रीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त प्रोन्नति के उच्चतर पद के प्रभार (वेतनमान सहित) से संबंधित आदेश निर्गत किया जा सकेगा।

4. इस पर पुलिस महानिदेशक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय),
बिहार, पटना

ज्ञापांक–पी0–1/04–09–40–2023/536 पटना, दिनांक– 27/10/23

<u>प्रतिलिपि</u> :–

1. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. सचिव, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
3. सभी महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
4. अध्यक्ष, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग/केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्त्ती)/सचिव, मानवाधिकार आयोग/लोकायुक्त कार्यालय, बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
5. सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप–महानिरीक्षक (रेल/इकाई सहित), बिहार को को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
6. पुलिस उप–महानिरीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो/पुलिस अधीक्षक, विशेष निगरानी इकाई, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
7. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक(रेल/इकाई सहित)/समादेष्टा, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
8. सभी प्राचार्य, पुलिस प्रशिक्षण संस्थान, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
9. प्रभारी, बिहार पुलिस परिवहन मुख्यालय/प्रशाखा पदाधिकारी, एक्स0पी0/पी0–02/पी0–3/पी0–4/पी0–5 प्रशाखा/रक्षित पदाधिकारी, बिहार पुलिस मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

27/10/23
अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय),
बिहार, पटना